न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(34)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.2017 एवं 05.06.2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, सॉचेत, तह. व जिला रायसेन प्रकरण क्रमांक 41/अ-12/2016-17.

---

1. किशनलाल आ. श्री नवलसिंह
2. भारत सिंह आ. श्री भुज्जीलाल
3. मंशाराम आ. श्री देवराज

सभी कृषक निवासी ग्राम गमीरी
तह. व जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. नन्नूलाल आ. श्री पूरनसिंह
2. हल्केराम आ. श्री पूरनसिंह

दोनों निवासी ग्राम गमीरी,
तह. व जिला रायसेन, म.प्र.

3. म.प्र. शासन

द्वारा कलेक्टर, रायसेन .....अनावेदकगण

श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री लक्ष्मीनारायण चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल, सॉचेत, तह. व जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 22.05.2017 एवं 05.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा ग्राम गमीरी पटवारी हल्का नं. 70 में स्थित भूमि कुल रकबा 12.27 एकड़ भूमि के सीमांकन हेतु दिनांक 28.04.2017 को आवेदन राजस्व निरीक्षक, सॉचेत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 41/अ-12/16-17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा दिनांक 22.05.2017 को हल्का पटवारी को सीमांकन हेतु आदेश जारी किया गया। दिनांक 05.06.2017 को राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वयं आदेश पत्रिका लिखते हुए लेख किया गया कि विधिवत् सूचना उपरांत दिनांक 05.06.2017 को मौके पर उपस्थित होकर स्थाई सीमा चिन्हों की सहायता से सीमांकन कर सीमाऐं समझाई गई, जिसमें खसरा नं. 100 रकबा 0.793, 106 रकबा 0.121 व 108 रकबा 0.35 पर मंशाराम आ. देवजी, खसरा क्रमांक 65/1 रकबा 0.311 पर भारतसिंह आ. भुज्जी एवं खसरा क्र. 103 रकबा 0.405 व 103/2 रकबा 0.259 पर किशनलाल का संपूर्ण कब्जा पाया गया, कब्जा लाल स्याही से दर्शाया गया। आवेदकगण को उक्त सीमांकन दिनांक 05.06.2017 की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत नकल दिनांक 21.06.2017 को प्राप्त होने पर पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि को अनावेदकगण की भूमि बताते हुए अवैध कब्जा दर्शाकर आवेदकगण एवं अनावेदकगण के बीच सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न किया। उक्त सीमांकन के आधार पर अनावेदकगण कब्जा लेने की कार्यवाही कर रहे हैं। इस कारण आवेदकगण द्वारा उक्त सीमांकन के अंतर्गत की गई कार्यवाही व पारित आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन दिनांक 05.06.2017 की संपूर्ण कार्यवाही न्याय व नैसर्गिक न्याय के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन करने के पूर्व आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई। संपूर्ण कार्यवाही उनके पीठ-पीछे की गई है, जो संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत होने से मात्र इसी आधार पर निरस्ती योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये फील्डबुक, नक्शा एवं पंचायतनामा एवं सूचना पत्र से ही प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनके द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया व नियमों के विपरीत होने के साथ-साथ सिद्धांतविहीन होने से निरस्त किये

जाने योग्य है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना आवेदकों पर तामील नहीं कराई गई है। समस्त सीमांकन की कार्यवाही आवेदकगण की अनुपस्थिति में की गई है। अत: राजस्व निरीक्षक मण्डल द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिवत न होने से सिथर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रकरण राजस्व निरीक्षक मण्डल, सॉचेत को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सीमांकन कार्यवाही की सूचना आवेदक सहित सभी पड़ोसी कृषकों पर तामील कराकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन कर पुन: सीमांकन आदेश पारित करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल, सॉचेत, तह. व जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2017 एवं 05.06.2017 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उपरोक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में पुन: आदेश करने हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर